न्यायालय - उपजिलाधिकारी फूलपुर आजमगढ़ ।

दयाशंकर व कृपा शंकर पुत्रगण रविदत्त सा० सहबावद बनाम गाव सभा ।	मु० नं० T202215191400391 धारा - 80 मौ० कोटिला प० माहुल तह० फूलपुर आजमगढ़

नोट — कोलियों के साथ नकल आदेश दिनांक 20/7/2022 संलग्न है।

उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट ★ फूलपुर, आजमगढ़

आदेश पत्रक

न्यायालयः उपजिलाधिकारी

मण्डल :आजमगढ़:जनपद:आजमगढ़,तहसील :फूलपुर

वाद संख्या : 00391/2022

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या : T202215191400391

दयाशंकर व कृपाशंकर पुत्रगण रविदत्त, बनाम गॉव सभा आदि

अंतर्गत धाराः 80,अधिनियमः उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद दयाशंकर व कृपाशंकर पुत्रगण रविदत्त, सा0 सहवाबाद ओरिल परगना माहुल तहसील फूलपुर आजमगढ़ द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 80 रा0 सं0 2006 बाबत आ0नं0 974 रकबा 3.104 हे0 मे से 0.816 हे0 स्थित मौजा ओरिल दाखिल हुआ। पत्रावली पर तहसीलदार फूलपुर से जॉचकर आख्या मंगाई गई। तहसीलदार फूलपुर द्वारा मौके की जॉचकर अपनी जॉच आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गई। तहसीलदार फूलपुर द्वारा अपनी जॉच आख्या दिनांक 15/05/2022 में उल्लेख किया गया कि आ0नं0 974 रकबा 0.816 हे0 दयाशंकर व कृपाशंकर पुत्रगण रविदत्त सा0 ओरिल आदि के नाम संक्रमणीय भूमिधर के खाते में अंकित है। वादी द्वारा उक्त आ0न0 आ0नं0 974 रकबा 0.816 हे0 पर विद्यालय भवन व बाउंड्री का निर्माण आदि का कार्य हुआ है। जो गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग मे लाया जाता है। मौके पर विवादित भूमि जोती बोई नही जाती है। इस प्रकार उपरोक्त आ0न0 से 0.816 हे0 को आकृषिक भूमि व लगान मुक्त घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

पत्रावली पंजीकृत की गई। वादी द्वारा निर्धारित उद्घोषणा शुल्क मु0 85,325/–रू जमा किया। तथा न्याय शुल्क मु0 85,325/–रू का स्टैम्प दाखिल किया गया। पत्रावली पर वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर बहस सुनने एवं साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया गया। विवादित आ0नं0 वादी की संक्रमणीय भूमिधरी है। खाते में आ0न0 संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। किन्तु मौके पर वादी द्वारा विद्यालय का भवन निर्माण आदि किया गया है। आ0न0 मौके पर जोती–बोई नही जाती है बल्कि मौके पर भवन व बाउंड्री आदि निर्मित किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार की आख्या स्वीकार कर विवादित आ0न0 को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किये जाने में कोई विधिक कठिनाई नही है।

आदेश

तहसीलदार फूलपुर की आख्या स्वीकार की जाती है। ग्राम सहवाबाद ओरिल परगना माहुल के वर्तमान खतौनी मे आ0नं0 974 रकबा 0.816 हे0 जो लगान 9.50 पैसा को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। आदेश का प्रभाव खातेदार पर नही होगा। वाद अनुपालन पत्रावली दा0द0 हो।

(ज्ञानचन्द्र गुप्ता) 28/7/2022
उपजिलाधिकारी
फूलपुर, आजमगढ़

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट फूलपुर, आजमगढ़

पृष्ठ संख्या :

सत्य-प्रतिलिपि प्रमाणित

नकल प्रार्थनापत्र देने की तिथि 25/07/2022
नकल तैयार करने की तिथि 27/07/2022
नकल जारी करने की तिथि 28/07/2022
प्रतिलिपि शुल्क 10/-
शब्दो की संख्या 150/-
प्रतिलिपि कर्ता
तुलना कर्ता
तिथि 28/07/2022

कार्यालय उप जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट, त0–फूलपुर, जनपद–आजमगढ़

पत्रांक– 1041 दिनांक– 19.9.22

प्रमाणित किया जाता है कि मॉ राजेश्वरी देवी एजुकेशनल ट्रस्ट, ग्राम–खरैला, पो0 सरायपल्टू, तहसील–लालगंज, आजमगढ़ के नाम गाटा संख्या–974 रकबा 0.816हे0 यानि 2.015 एकड़ भूमि स्थित ग्राम–ओरिल, तहसील–फूलपुर, जिला–आजमगढ़ मे जरिये लीज/किरायानामा लिया गया है। राजस्व अभिलेख में भूमि दयाशंकर व कृपा शंकर पुत्रगण रविदत्त व अन्य सहखातेदार के नाम अंकित है जो धारा 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत अकृषक घोषित है।

उक्त भूमि पर शिक्षण कार्य हेतु भवन निर्मित है इस भूखण्ड का प्रयोग शिक्षण कार्य हेतु किया जा रहा है। अतः उक्त आ0न0 का भू–प्रयोग कृषि कार्य से भिन्न शैक्षिक कार्य के प्रयोजनार्थ है।

उप जिलाधिकारी, फूलपुर

आजमगढ़